न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2025 निगरानी

उनवान

1. ग्राम पंचायत, आमली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आमली, तहसील सहाडा जिला भीलवांडा।

—निगराकार

बनाम

1. सीताराम पिता शोभाराम चमार, निवासी आमली, तहसील सहाडा, जिला भीलवाडा
2. लक्ष्मण पिता बक्षु जाट निवासी बालाजी नगर, आमली तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज पंचायतीराज अधिनियम, निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 53 दिनांक 06.07.2003 द्वारा ग्राम पंचायत आमली।

उपस्थित —

1. अधिवक्ता निगराकार — श्री दिनेश चन्द्र बापना, राकेश जैन।
2. अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 — श्री धर्मेन्द्र शर्मा, एस.एन.दैराश्री।
3. अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 — श्री विवेकान्द शर्मा, लक्ष्मीलाल टेलर।

निर्णय

दिनांक : 17/12/2025

1— निगराकार अधिवक्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि— ग्राम पंचायत आमली द्वारा अन्दर हल्के आबादी में एक आवासीय भूखण्ड नपती 30 फीट बाई 40 फीट को रियायती दर पर विपक्षी संख्या 1 सीता राम को विक्रय किया गया था। जिसके पड़ौस निम्न है— पूर्व— गंगापुर की सड़क, पश्चिम खाली प्लॉट, उत्तर— खेतों का रास्ता, दक्षिण— निजी प्लॉट, उक्त वर्णित पडौसान मध्य का भूखण्ड प्रशासन आपके द्वार अभियान में रियायत दर पर पट्टा क्रमांक 53 दिनांक—06.07.2003 को जारी किया गया था।

2— उक्त भूखण्ड चूंकि विपक्षी संख्या 1 को रियायती दर पर शर्तों के अधीन विक्रय किया गया था जिस अनुसार वादग्रस्त भूखण्ड अहस्तांतरणीय अर्थात 'विक्रय के लिए अवैध था इस आशय का नोट पट्टे पर भी अंकित किया गया है। विक्रय किये गये भूखण्ड को पट्टा ग्रहिता विपक्षी संख्या 1 को अन्यत्र विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नही था, लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने शर्तों एवं निर्बन्धनों का अतिलंघन करते हुए उक्त भूखण्ड विपक्षी संख्या 2 लक्ष्मण पिता बक्षु जाट को विक्रय कर दिया जिससे उक्त पट्टा विलेख क्रमांक—53 शून्य एवं निष्प्रभावी हो गया है। जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है।

3— विपक्षी सख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक—53 शतों के अधीन जारी किया गया था, और उसके द्वारा किया गया हस्तान्तरण प्रारंभ से ही शून्य एवं अवैध है जिससे तथाकथित विक्रयपत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 2 को वादग्रस्त भूखण्ड पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

निगराकार को उक्त भूखण्ड विपक्षी संख्या 2 को विक्रय करने की जानकारी हुई एवं विपक्षी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया एवं इस संबंध में विकास अधिकारी को

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भी लिखा गया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विक्रय पत्र की जानकारी होते ही अविलम्ब यह निगरानी पेश है।

अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत आमली, तहसील सहाड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 53 दिनांकित 06.07.2003 निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

4— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 11.02.2025 को पजीबद्व किया जाकर गैर निगराकारान् को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या–01 ने जवाब पेश नहीं कर बहस में निवेदन किया गया कि मुझ गैर निगराकार संख्या 01 को कानून का अध्यन नहीं होने से गैर निगराकार संख्या 02 को उक्त भूखण्ड विकय कर दिया।**

गैर निगराकार संख्या–02 ने अपनी ओर से निगरानी में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपनी ओर से जवाब/बहस में निवेदन किया कि– गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में विक्रय किया गया वादग्रस्त भुखण्ड के पटटे पर उक्त प्रकार का नोट अंकित नहीं है एवं न ही उक्त पटटा किसी निर्बन्धन के अधीन जारी किया गया है।

5— गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने स्वामित्व एवं हक अधिकार के पटटे सुदा वादग्रस्त भुखण्ड को विधिक प्रकिया के तहत अपने हक अधिकारो का प्रयोग करते हुए विक्रय किया गया है जिसका उसे पुर्ण अधिकार था, तथा गैर निगराकार संख्या 01 के स्वामित्व के पटटे सुदा वादग्रस्त गुखण्ड पर किसी प्रकार का कानुनन निबर्धन नही था एवं न ही है।

6— उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के पटटे पर उक्त पैरा मे वर्णितानुसार किसी प्रकार की कोई शर्त नही थी एवं न ही सशर्त जारी किया गया, जिसका प्रमाण गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित किया गया विक्रयपत्र है। इस कारण ही उसका सक्षम पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन किया गया यदि ऐसी कोई शर्त या निबन्धन होता है तो अवश्य ही उक्त पटटे सुदा भुखण्ड का विक्रयपत्र का पंजीयन नही होता है।

7— गैर निगराकार संख्या 2 या 01 को ऐसा किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही पूर्व में कोई सूचना ही प्रेषित की गई, ऐसे में गैर निगराकार संख्या 02 को निगरानी से पूर्व अपनी बात रखने या अपना समुचित पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नही हुआ एवं न ही पूर्व सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया एवं सीधे ही उक्त निगरानी पेश कर दी गई जो मियाद बाहर होने से स्वतः निरस्तनीय है।

8— निगरानी प्रार्थनापत्र के अंत मे चाहा गया अनुतोष विधि एवं कानुनन के स्थापित प्रावधानो के विपरीत होने से किसी प्रकार से स्वीकार किये जाने यौग्य नहीं है, एवं निगराकार ने गलत एवं काल्पनिक तथ्यो के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है जिसे जवाबदाता गैर निगराकार संख्या 02 के जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमाया जावे। गैर निगराकार संख्या 02 सद्धभाविक केता है, तथा उक्त कयसुदा भुखण्ड के पटटे बाबत निगरानी मे वर्णितानुसार किसी प्रकार का निर्बन्धन नही है एवं न ही किसी प्रकार के निर्बन्धन की जानकारी गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा तत्समय ही दी गई।

9— उक्त कयसुदा वादग्रस्त भुखण्ड पर कय करने की दिनांक से गैर निगराकार संख्या 02 का निर्बाध एवं अनवरत कब्जा है। जिसके लिये किसी भी निकाय ने आज तक कोई ऐतराज नहीं किया तथा उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में गैर निगराकार संख्या 02 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है, तथा उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 02 नें उपयोग उपभोग लायक तैयार करने में काफी धन एवं श्रम लगाया है, तथा मौके पर चारदिवारी है तथा 20 टैक्टर पत्थरो के डलवा रखे जिसकी कीमत करीब 1 लाख रूपये है।

10— गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने पक्ष मे निगराकार द्वारा जारी पटटा कमांक 53 से मिले कानुनन हक अधिकारो का प्रयोग करते हुए गैर निगराकार संख्या 02 को विकय किया है। जिसका उसे कानुनन हक अधिकार था, तथा इसी के चलते उसका पंजीयन

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सक्षम उपपंजीयक कार्यालय गंगापुर से हुआ है, ऐसे में वादग्रस्त भूखण्ड के पटटे पर ऐसे किसी निर्बन्धन होने की पुष्टि नही होती है।

अतः निगरानी मे वर्णित कथनो के जवाब मे गैर निगराकार संख्या 02 का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर निगरानी निगराकार खारिज फरमाया जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

11— यह है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा ने जवाब में अंकित गया कि ग्राम पंचायत आमली द्वारा अन्दर हल्का आबादी में याचिका में वर्णित पडौसान मध्य का एक आवाासीय भूखण्ड नपती 30 फीट बाई 40 फीट का रियायती दर पर सीताराम चमार को विक्रय किया जाना पाया गयां है। प्रशासन आपके द्वार अभियान में पट्टा कमांक 53 दिनांक 06.07.2003 को जारी किया गया था। पट्टेधारी सीताराम को विक्रय किया गया भूखण्ड अहस्तान्तरणिय होकर विक्रय के लिये अवैध था। पट्टे पर भी इस आशय का नोट अंकित है। सीताराम द्वारा उक्त भूखण्ड लक्ष्मण जाट को विक्रय कर दिया गया है। उक्त भूखण्ड कानूनी रूप से विक्रय के लिये अवैध था, परन्तु सीताराम चमार द्वारा प्रलोभनवश लक्ष्मण जाट को विक्रय कर दिया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत आमली द्वारा सीताराम को नोटिस भी जारी किया गया। सीताराम चमार द्वारा लक्ष्मण जाट को किया गया विक्रय अवैध है जिससे पट्टा कमांक 53 दिनांकित 06.07.2003 निरस्त किया जाना उचित है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति, सहाडा की रिपोर्ट का अवलोकन उपरान्त पाया गया कि – पट्टा संख्या 53 दिनांक 06.07.2003 को पट्टे धारी को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया, जिस पर भूखण्ड विक्रय के लिये अवैध का नोट अंकित है। पट्टे धारी द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 को उक्त पट्टा विक्रय किया गया, जो विक्रय अवैध है। जिसके आधार पर पट्टा खारीज योग्य ठहरता है। अतएवं—

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है। ग्राम पचांयत आमली, पंचायत समिति सहाडा, जिला भीलवाड़ा का पारित पट्टा संख्या 53 दिनांक 06.07.2003 को खारीज किया जाता है। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत आमली, पंचायत समिति सहाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17–12–2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा